

अनुमति की शर्तें ।

- (i) शक्य भवन / मूलांक के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्व, जलविद्युत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से आरेखक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय उद्योगकर्ता

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

श्री + /
आवासीय

आवेदन क्रमांक 610 दिनांक 02/07/2020
 धर्मा फखराज मोहम्मद एवं शुभाजु दीन एवं शुभाजु खान
 ने राजस्थान नगर मालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत
 धारा 194 (7) (ग) से सहित आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 11420/- का
 जरिये रसीद संख्या 1031/2056, 2057
 दिनांक 02/07/2020 को जमा करा दी है ।

02/07/2020
 सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

जलप
9351631 825